संख्य -49/1865/52-3-2014-सा(33)/2014

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण : 0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ □□□□-3, □□□□: दिनांक 3 सितम्बर, 2014

विषयः-मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 □ 2009-10 में कालातीत चेकों का वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि से भुगतान किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1236/□0□0□0□□0/□□0 □□0-□□0□□/ 2013-14 दिनांक 9.7.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मद हिदायतुल इस्लाम तिवाई, जनपद कानपुर देहात में कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों श्री इसहाक मोहम्मद व श्री इमाम अली के मानदेय के □□□□ □□चेक कालातीत हो जाने के कारण इन्हें वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 के मानदेय का भुगतान प्राप्त नही हो सका था।

2. उक्त वर्णित को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त शिक्षकों के वर्ष 2008-09 व वर्ष 2009-10 के मानदेय के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत प्राविधनित धनराशि रू0 2,00,00,00,000/-□□

http://shasanadesh.up.nic.in

सापेक्ष उपलब्ध धनराशि रू0 1,82,16,88,000/- से रू 1,13,000/-(रू0 एक लाख तेरह हजार) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है -

(1) धनराशि के भुगतान से पूर्व पुनः इस तथ्य की पुष्टि कर ली जायेगी कि जिस अवधि के मानदेय का भुगतान किया जा रहा , □□□ भुगतान पूर्व में लाभार्थी को प्राप्त नही हुआ है। धनराशि का व्यय प्रश्नगत प्रयोजनार्थ ही किया जायेगा। किसी भी अनियमितता लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राज्यकोष में जमा कराये जाने की कार्यव सुनिश्चित की जायेगी।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □ □-व्ययक के अनुदान संख्य -48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्ष -01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अ□□ □□□ मदरसों का आधुनिकीकरण (□0100/□0-□0)-20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□□

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख - □-11-1025/□□-2014, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्य -1865/52-3-14 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-संयुक्त निदेशक(□□0□□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□□,शास्त्री भवन नयी दिल्ली।

2-□□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0,□□□□□□□□□

3-□□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,□0प्र0,□□□□□□□□

4-वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय,□□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रोड,इ□□□□□□

5-कोषाधिकारी,□□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय,□0प्र0 □□□□□

6-□□□□,माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 □□□□

7-निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें/बेसिक शिक्षा विभाग,□0प्र0 □□□□

8-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,□0प्र0 □□□□□

9-रजिस्ट्रार,□0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद,704,□□□□ □□□,□□□□□

10-वित्त(□-11)□□□□□/वित्त(□□-व्ययक)□□□□-1(02प्रतियों में)/□□□□□ □□□□-3 □□□□ □□□□/गार्ड फाईल।

आज्ञा सं,

(vkj0,u0 f}osnh)

□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in